संख्या:20/2023/892 ई-2/तेरह-2023-1712056

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 18 मई, 2023

विषयः- मेसर्स वारूणी ग्लोबल प्रा.लि., खसरा नं.69, बिजली घर के सामने अम्बेहटापीर, ग्राम बीराखेड़ी, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर को 80,640 लीटर वार्षिक क्षमता की वाइन उत्पादन हेतु द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने दिनांक रहित पत्र संख्या:जी-30/दो-प्रा.डी.-262/वारूणी, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त **राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत** मेसर्स वारूणी ग्लोबल प्रा.लि., खसरा नं. 69 बिजली घर के सामने अम्बेहटापीर, ग्राम बीराखेडी, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर को उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के क्रम में 230.40 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 80,640 (अस्सी हजार छः सौ चालीस) लीटर वार्षिक क्षमता की **द्राक्षासवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-**

(1) उत्तर प्रदेश द्राक्षासवनी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 में उल्लिखित शर्तें।

(2) समय-समय पर शासन द्वारा आबकारी नीति में निर्धारित निर्देश।

(3) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) इकाई द्वारा द्राक्षासवनी चलाये जाने से पूर्व नियमानुसार अन्य संबंधित विभागों से सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अनुज्ञापन निर्गत करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई के निदेशकों पर राजस्व का कोई बकाया न हो

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)

उप सचिव।

संख्याः20/2023/892(1)ई-2/तेरह-2023-1712056 तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।